

बिहार सरकार
पंचायती राज विभाग

नजर हुसैन,
विशेष सचिव

जिला पदाधिकारी,
अरवल, दरभंगा, पश्चिम चम्पारण
(बेतिया), भागलपुर, सीतामढ़ी,
सिवान, मुंगेर एवं रोहतास।

विषय : वित्तीय वर्ष 2026-27 में विभागीय स्वीकृत्यादेश संख्या 50(स्वी०) दिनांक 10.09.2026 द्वारा स्वीकृत कुल ₹65,00,000.00 (पैंसठ लाख रुपये) मात्र की अनुग्रह अनुदान की राशि का आवंटन।

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि विभागीय संकल्प संख्या 5482 दिनांक 01.10.2018 के आलोक में विभागीय स्वीकृत्यादेश संख्या 50(स्वी०) दिनांक 10.09.2026 द्वारा वित्तीय वर्ष 2026-27 में जिला पदाधिकारी, अरवल, दरभंगा, पश्चिम चम्पारण (बेतिया), भागलपुर, सीतामढ़ी, सिवान, मुंगेर एवं रोहतास से प्राप्त अनुशंसा के आलोक में उक्त स्वीकृत्यादेश के कंडिका-03 में अंकित विवरणी के अनुरूप वार्ड सदस्य, पंच, ग्राम पंचायत सदस्य, मुखिया एवं पंचायत समिति सदस्य के आश्रितों को ₹5,00,000.00 (पाँच लाख रुपये) मात्र की दर से कुल ₹65,00,000.00 (पैंसठ लाख रुपये) मात्र की अनुग्रह अनुदान की राशि की स्वीकृति प्रदान की गई है।

2. उक्त विभागीय स्वीकृत्यादेश के आलोक में वित्तीय वर्ष 2026-27 में कुल ₹65,00,000.00 (पैंसठ लाख रुपये) मात्र की अनुग्रह अनुदान की राशि निम्नरूपेण आवंटित की जाती है :-

क्र०	जिला का नाम	मृत पंचायत प्रतिनिधि का विवरण	राशि रूपये में आवंटित राशि
1	2	3	4
1.	अरवल	स्व० उपेन्द्र शर्मा, वार्ड सदस्य, ग्राम-अईयारा, प्रखंड- करपी, जिला-अरवल	500000.00
2	दरभंगा	स्व० चानो देवी, पंच ग्राम-जरिसो, प्रखंड-बेनीपुर, जिला-दरभंगा	500000.00
3	पश्चिम चम्पारण	स्व० प्रेमा देवी, पंच, ग्राम-घनौजी, प्रखंड-गौनाहा, जिला-पश्चिम चम्पारण, बेतिया	500000.00

4	भागलपुर	स्व० दशरथ प्रसाद सिंह, पंच, ग्राम-बलाहा, प्रखंड-नारायणपुर, जिला-भागलपुर	500000.00
5		स्व० ममता देवी, ग्राम पंचायत सदस्य, ग्राम- गोपालपुर डिमहा, प्रखंड-गोपालपुर, जिला-भागलपुर	500000.00
6		स्व० उपेन्द्र कुमार मंडल, ग्राम पंचायत सदस्य ग्राम- घोघा, प्रखंड-कहलगॉव, जिला-भागलपुर	500000.00
7		स्व० अनिता देवी, मुखियाग्राम- श्यामपुर कुमैठा, प्रखंड-सुलतानगंज, जिला-भागलपुर	500000.00
8	सीतामढ़ी	स्व० आलोक ठाकुर, वार्ड सदस्य, ग्राम-मटियारकला, प्रखंड-बथनाहा, जिला-सीतामढ़ी	500000.00
9		स्व० मनोज राय, वार्ड सदस्य, ग्राम-पचटकी, प्रखंड-बैरगनियाँ, जिला-सीतामढ़ी	500000.00
10	सिवान	स्व० हरिहर राम, वार्ड सदस्य ग्राम- खाप बनकट, प्रखंड-नवतन, जिला-सिवान	500000.00
11	मुंगेर	स्व० राम विलास ताँती, पंचायत समिति सदस्य ग्राम- बढ़ौनिया, प्रखंड-संग्रामपुर, जिला-मुंगेर	500000.00
12	रोहतास	स्व० राजेश शर्मा, ग्राम कचहरी पंच, ग्राम पंचायत-अमियावार, प्रखंड-नासरीगंज, जिला-रोहतास	500000.00
13		स्व० किस्मातो देवी, ग्राम कचहरी, ग्राम पंचायत-इन्द्रपुरी, प्रखंड तिलौथू, जिला-रोहतास	500000.00
कुल			₹65,00,000.00

पैंसठ लाख रुपये मात्र

3. इस आवंटित राशि की निकासी वित्तीय वर्ष 2026-27 में राज्य स्कीम अंतर्गत "मुख्य शीर्ष-2515-अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम-उपमुख्य शीर्ष-00-लघुशीर्ष-001-निदेशन एवं प्रशासन-उपशीर्ष-0101-मुख्यालय पंचायत की स्थापना" के "विषय शीर्ष-0101.37.01-अनुग्रह अनुदान" मद से किया जायेगा। इसकी मांग संख्या-16 एवं विपत्र कोड संख्या 16-2515000010101 है।

4. यह आवंटन वित्त विभाग के परिपत्र संख्या एम-4-05/98-2561 वि(2) दि० 17 अप्रैल 1998, पत्रांक 236 दिनांक 09.03.2026 एवं 926 दिनांक 31.07.2026 में निहित अनुदेशों के आलोक में निर्गत किया जा रहा है।

5. इस आवंटित राशि के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी संबंधित जिला पदाधिकारी, होंगे, जो राशि की निकासी संबंधित जिला कोषागार से विभागीय स्वीकृत्यादेश संख्या 50(स्वी०) दिनांक 10.09.2026 में दिये गये निदेशों एवं बिहार

कोषागार संहिता, 2011 के सुसंगत नियमों के आलोक में करेंगे। निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी राशि की निकासी करते हुए मृतक के आश्रित के बैंक खाते में CFMS के माध्यम से अंतरित करेंगे।

6. इस आवंटित राशि का भुगतान पूरी छानबीन एवं जाँच पड़ताल के बाद ही की जाये। यदि कोई छद्मपूर्ण या अनियमित निकासी होती है तो इसकी पूरी जिम्मेवारी निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी की होगी।

7. इस आवंटन को व्यय की स्वीकृति नहीं समझा जाए। राशि का व्यय सक्षम पदाधिकारी की स्वीकृति प्राप्त कर नियमों के आलोक में की जाये, ताकि कोई व्यय अथवा राशि की निकासी अनियमित नहीं हो।

8. कोषागार में प्रस्तुत किये जाने वाले सभी विपत्रों पर मुख्य शीर्ष/लघुशीर्ष/उपशीर्ष/प्राथमिक इकाई आदि का स्पष्ट मुहर, इकाईयों का कोड, विपत्र कोड एवं मांग संख्या अनिवार्य रूप से अंकित की जाये ताकि महालेखाकार के कार्यालय में लेखा संधारण समुचित ढंग से हो सके।

9. वित्तीय नियमावली, बजट मैनुअल तथा अन्य सुसंगत अभिलेखों में निहित प्रावधानों तथा समय-समय पर निर्गत आदेशों का दृढ़तापूर्वक पालन किया जाये ताकि व्यय पर वास्तविक रूप से नियंत्रण रखा जा सके।

10. इस आवंटनादेश के सभी पृष्ठ विशेष सचिव, पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना द्वारा हस्ताक्षरित हैं।

11. इस आवंटन प्रस्ताव एवं प्रारूप में सचिव, पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना का अनुमोदन संचिका संख्या : 5प/राज्य स्कीम-02-06/2025 के पृष्ठ संख्या130...../टि० पर दिनांक 29/9/2026 को प्राप्त है।

12. इसकी सूचना महालेखाकार (ले० एवं ह०), बिहार, वीरचन्द पटेल पथ, पटना को भी दी जा रही है।

विश्वासभाजन


(नजर हुसैन)
विशेष सचिव



